

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए ग
कि लिखी अव्य विद्यालय के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में एव
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे सरिधा हो।



ग्राह : गूलीवसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/3482

दिनांक: 30/07/11.

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, गोविन्दपुरी, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य कार्यपरिषद्

2. डॉ. अनूप कुमार जग्जी, शासकीय महाविद्यालय, गुना

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय, गोविन्दपुरी, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम हो ही किया जाए व
कि किसी अन्य पदपिकारी के नाम हो।
सम्बन्धित विषय पत्र यदि पूरे में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र ग्रन्थांक एवं दिनांक अवश्य निलें जाएं विसरण संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५५०७

दिनांक: १७/०१/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सुभाष बन्द बोस महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-20125124) को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानकीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर, (0751-2442828)

(संयोजक)

(2) डॉ. रेणू श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोस्टन कॉलेज, ग्वालियर।

(3) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

बिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुभावित/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, छीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं येतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर बिरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त नियुक्ति समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में की गई देसी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जारेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण समिति का पुर्बगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छारों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय उपायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक नियुक्ति कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्याकरण कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही विद्या जारी रह
कि विद्या अन्व प्रतिष्ठानी के नाम से।
सम्बोधित विद्या पर वर्दि एवं नेप
व्याकरण कुमा तो वर छन्दक एवं विभिन्न
आवश्यक विद्या जारी रखते हैं।



ग्राम : बुद्धीपुर्णी
दूरभास : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4934

दिनांक: 25/5/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सुमाप्य बन्द कोस महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-40125124) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबोधित पी.डी.डी.सी.ए., बी.एस-सी. (भौतिकी, कम्प्यूटर, माइक्रोबायलॉजी, बायोटेक, वनस्पति), एम.एस-सी. (माइक्रोबायलॉजी, बायोटेक), बी.बी.ए., बी.सी.ए एवं बी.कॉमै. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अ.वि.वि.) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिविषयम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत विनाशकुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है।

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)
- (2) प्रो. डी.एव. गोप्यामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. योगेश उपाचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) डॉ. के.एस.ठकुर, उपाचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, घटोहर शिखि, वांछित लैक्षणिक/असैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीवेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई सर्टी की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/लैक्षणिक एवं असैक्षणिक स्टॉफ़ की विवृतियों का प्रमाण एवं येतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विवरित उम्मत में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकार विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देही के लिए महाविद्यालय तथा उत्तराधिकारी होगा। विद्यकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति इसके लिए लैक्षणिक गठन कर लें। अनुशंसात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वजन्म किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विद्या सत्रों को प्रवेश देना उचितवादिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय अध्यायक प्रशासनी लेकर जारी होने तक महाविद्यालय की वस्तुतियोंते विरीक्षण समिति को अवगत करायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए., डी.ए., भालदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचित

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विर्यादित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुढ़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचित (सम्बद्धता)